

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

21.11.23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप-1 रैस्पॉ. सेव्ज 9
11 से 14 की रजि. छूट। 9, 11, 14 की कोर
ले कोर उपस्थित नहीं। रैस्पॉ. सेव्ज 7, 10, 15
व 17 की रजि. रजि. ले सेव्ज के लिए डिप्लोमा
पत्रावली कब्रि-बीर चुकी है। वकिल पत्रावली जारी
जारी है। वाक्य 5 प्रयोग की। पत्रा. वारंट
वकिल दिनांक 20.01.24 को पेश है। लि।

22.01.24

दिनांक 20.01.24 को राजकीय कब्रगाह होठे
पत्रा. काय पेश हुई। वकुलाय उप-1 पत्रा. वारंट
वकिल 20.02.2024 को पेश है। लि।

20-02-2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप-1 वकिल
सेव्ज 9 के पत्रावली पर मूल वारंट का निस्तारण
होने से अपील पत्रावली-1 को वाक्य पेश
कर निवेदन किया कि निस्तारण आमानत से
मूल वारंट का निस्तारण हो चुका है, इसलिए
इसलिए अपील पत्रावली-1 को चुकी है। इतने
अपील अपील पत्रावली-1 को से खारिज
फारमाली जाते।

वकिल अपील पत्रावली-1 के अन्तर्गत अतिरिक्त की
वकिल पत्रावली पर अतिरिक्त जाइर की वकिल अपील
पत्रावली-1 को से खारिज किये जाने का निवेदन
किया। लि।

20.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नया नं. जारी
अदालत नं. जारी
हुकम की तारीख

उक्त पक्ष के अधिवक्ता/गो की बख्त
पर ~~किस~~ मजद किया गया। पक्षान्वी एवं
पक्षान्वी पक्ष के साथ मजद दस्तावेज का
अवलोकन किया गया। विचारों सामान्य
के शपथक बाद में, 24/02/2020 में पक्षित
निष्पत्ति दिनांक 17/07/2023 के अतिरिक्त मजद
का बाद का निष्पत्ति से चुकाई है। इसमें
अपील पक्षान्वी पक्ष अन्तर्गत द्वारा 212 में
पक्षित आरोप के विरुद्ध पक्ष की गई है।
मजद बाद निष्पत्ति से पक्ष से अपील
अपील आरोप से चुकी है जो पक्षित
की जारी है। अतिरिक्त सामान्य की पक्षान्वी
मजद आरोप पक्ष के लीपनी जाते। पक्षान्वी
केवल रुमर इकर इकर से कम की जाकर
शपथक दफ्त है।

आरोप से इपलाय 22/1/21 रमा।

20.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर